न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 91 / 2022

अनवान : –

1. विमला 2 फुलादेवी पुत्रीयान रामलाल जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. सेवाराम पुत्र रामलाल जाति नायक निवासी गुड़िया तहसील नोहर
2. शंकर पुत्र रामलाल जाति नायक निवासी गुड़िया तहसील नेहर जिला हनुमानगढ़
3. मन्तो देवी पुत्री रामलाल जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर हाल मोचोसिधाना तहसील ऐलनाबाद हरियाणा
4. धनकोर पुत्री रामलाल जाति नायक निवासी गुड़िया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल रामगढ़ तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री संतलाल तिवाड़ी अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 25/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सायलान व गैरसायलान सं. 1 ता 4 के पिता स्व. रामलाल नायक की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के प.न. 343 / 398 मु.न. 102 किला नं. 5–6 व 15–16 प.न. 344 / 398 मुन, 101 केकिला नं. 1, 2, 9 ता 12. 19–20 की कुल 12 किता की तादादी 3.0360 हैक्टर भूमि खातेदारी कृषि भूमि थी।

रामलाल की मृत्यु करीब 35–40 साल पहले हो गया था रामलाल के जायज वारिसान सायालान व गैरसायलान सं. 1 ता 4 ब.हि.ब थे किन्तु गैरसायलान सं. 1 व 2 परिवार के पुरूष सदस्य होने का नाजायज फायदा उठाते हुऐ गैरसायलान सं. 1 व 2 ने अपने नाम विरास्तन दर्ज करवाली जबकि सायलान व गैरसायलान सं. 3 व 4 भी रामलाल के जायज वारिसान थे जिनका भी हक व हिस्सा था अतः न्यायाल्य से घोषणा करापाने के अधिकारी है कि रोही मौजा चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 211 / 204 के प.न. 343 / 398 के मुन. 102 के किला नं. 5–6, 15–16 व प.न. 344 / 398 मु.न. 101 के किला नं. 1–2, 9 ता 12 व 19–20 कुल 12 किता की 3.0360 की भूमि में गैरसायलान सं. 1 व 2 के साथ सायालान गैरसायलान सं. 3–4 का ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बाबत घोषणा इश्तकरार हक की करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की [illegible] गैरसायलान सायालान के सगे भाई है तथा पुरूष सदस्य होने के कारण भूमि को रहन / बैय करने की फिराक में है तथा अजनबी लोगो का कब्जा कराने की कोशिश कर रहे है यदि ऐसा हो गया तो सायालान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:49:34 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपूर्णीय क्षति होगी अतः जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान सं. 1 व 2 को पाबन्द करापाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 211/204 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से प्रार्थीगण/सायलान के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त विवादित भूमि पूर्व में रामलाल पुत्र हुकमाराम की आवंटन शुदा भूमि थी जो कि उनके स्वर्गवास के पश्चात वाद भूमि शंकरलाल, सेवाराम पि० रामलाल के नाम से गैर खातेदारी भूमि नामान्तरण संख्या 42 दिनाक 21.04.1978 को दर्ज यानी दिनांक 09. 09.2005 से पूर्व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लड़कियों का कोई हक व हिस्सा नहीं था व नामान्तरण संख्या 42 जो कि मजमे आम में सरपंच ग्राम पंचायत जसाना में रौबरू हेतराम, हनुमानसिंह, मंगलुराम, हिराराम, इन्द्राज, जगदीश, गोमद, पतराम, जसाराम, शिशपाल, लादुराम, मनफूल ग्राम पंचायत पंच भैराराम व मनीराम आदि व्यक्तियों की मौजूदगी में नामान्तरण तस्दीक किया गया जो कि सही तौर पर दर्ज किया गया है वाद भूमि नामान्तरण संख्या 42 से उत्तरदाता को गैर खातेदारी प्राप्त हुई जिसकी सम्पूर्ण किस्ते एवं रकम राज उत्तरदाता ने जमा करवाई तथा सम्पूर्ण किस्ते जमा होने के पश्चात वाद भूमि कि खातदारी सनद श्रीमान् अदालत द्वारा दिनांक 13.08. 1985 को जारी की गई जिसके अनुसार नामान्तरण संख्या 116 दिनांक 21.08.1985 को दर्ज व मंजूर हुआ जिससे उतरदाता खातेदार काश्तकार हो चुका था हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में लड़कियों का हिस्सा दिनांक 09.09.2005 को लागू हुआ था परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि का नामान्तरण 21.04.1978 को दर्ज व मंजूर किया गया है जिससे स्पष्ट है कि नामान्तरण संख्या 42 दर्ज व तस्दीक करते समय वादीयान का कोई भी हक हिस्सा नहीं था उस समय सभी पक्षकार सहमत थे तथा अब परिवारमें आपसी मनमुटाव के कारण वादीया ने वाद पेश किया है जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण से खारीज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:49:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पैतृक [illegible] जिसे अप्रार्थीगण ने गलत तौर से सिर्फ अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि [illegible] भी जन्मजात हक हिस्सा था अप्रार्थीगण के नाम भूमि गलत तौर से अकेलों के नाम दर्ज होने के कारण रहन, बेय करना चाहते है इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे जबकि अप्रार्थीगण का

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कथन है कि उक्त भूमि सन 1978 में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है जबकि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम में बहनों का हिस्सा सन 2005 से लागु हुआ है। पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 42 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि का अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरण दिनांक 24.04.1978 को दर्ज हुआ है यानि की करीबन 47 वर्ष पूर्व हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा इतने वर्षो तक कोई ऐतराज जाहिर नही किया गया अब यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की न्यायोचित प्रतीत नही होता है एवं हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत लडकियों/बहनो का हिस्सा दिनांक 09.09.2005 से लागु हुआ है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 19.05.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:49:34 IST
Reason: SelfAttested